बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 407336 पटना, दिनांक:- 22/01/19

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 2016-17 एवं 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुरूप आवास की स्वीकृति अथवा अयोग्य परिवार को Remand करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के अनुरूप आवास की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु जिलों द्वारा कतिपय श्रेणी में प्राथमिकता सूची में अयोग्य लाभुकों के नाम को विलोपित किये जाने की अनिवार्यता प्रतिवेदित की गई थी । तदालोक में विभाग द्वारा अयोग्य लाभुकों के नाम प्राथमिकता सूची से विलोपित करने की प्रक्रिया विभागीय पत्रांक-359573 दिनांक-13.03.18 से संसूचित की गई थी । साथ ही जिलों से यह अपेक्षा की गई थी कि Remand प्रक्रिया के तहत यह संपूर्ण कार्रवाई दिनांक 25.06.2018 तक पूर्ण करा लें । तत्पश्चात यह समयावधि विस्तारित की जाती रही परन्तु वर्तमान तिथि तक भी जिलों द्वारा उक्त Remand की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है जिस कारणवश लक्ष्य के अनुरूप आवास की स्वीकृति लंबित है । वर्तमान स्थिति का सारांश निम्नानुसार है :-

जिलों से Upload किये गये आवेदन	विभाग द्वारा अनुमोदित	प्रखण्डों द्वारा ग्राम सभा से अनुमोदित
1	2	3
1,71,286	1,65,979	24,208

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अभी भी लगभग 70,000 (सत्तर हजार) आवेदन जिलों द्वारा विभाग को अपलोड कराते हुए अग्रसारित नहीं किये गये हैं जबकि विभाग द्वारा अनुमोदित 1,65,979 (एक लाख पैंसठ हजार नौ सौ उन्नासी) आवेदनों में से प्रखण्डों द्वारा मात्र 24,208 (चौबीस हजार दो सौ आठ) आवेदन ग्राम सभा से अनुमोदित कराये जाते हुए अपलोड कराये जा सके हैं ।

विदित हो कि जबतक जिलों द्वारा ग्राम सभा से समस्त आवेदनों को अनुमोदित कराते हुए अपलोड कराने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तबतक लक्ष्य के अनुरूप आवासों की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी । इस संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, राज्य स्तरीय बैठकों व विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उप विकास आयुक्तों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को स्वयं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सीधे अवगत कराते हुए अनुपालन का अनुरोध किया जाता रहा है । परन्तु अभी तक Remand व विलोपन की प्रकिया पूर्ण नहीं करने तथा शेष आवासों की स्वीकृति लंबित रखे जाने को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है ।

अत: अनुरोध है कि अपने स्तर से उप विकास आयुक्त व संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए विभाग को समन्तव्य अवगत करायें कि 6 (छः) माह से Remand/विलोपन की कार्रवाई पूर्ण क्यों नहीं की जा सकी ? किसी भी प्रकार का कारण दिये जाने की स्थिति में स्वयं समीक्षा कर लें कि क्या दिया गया कारण लगातार 6 (छः) माह तक प्रक्रिया लंबित रखने हेतु पर्याप्त है ? इसके साथ ही स्वयं अपने स्तर से अनुश्रवण करते हुए शत् प्रतिशत आवेदनों के ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्रवाई के साथ ही Remand/विलोपन की कार्रवाई दिनांक 28.01.2019 तक सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

21/1/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव